FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Karnal **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0009 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 13/03/2025 18:38 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	218
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Friday **Date from (दिनांक से):** 21/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 21/06/2024

Time Period (समय अवधि): Pahar 4 **Time From (समय से):** 10:00 hrs **Time To (समय तक):** 11:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/03/2025 **Time (समय):** 18:05 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 018 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/03/2025 18:27 hrs

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा करनाल

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 40 Km **Beat No. (बीट सं.):**
(s)

(b) Address (पता): Panipat,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Inspector Hemraj

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1970 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	2206, Sector 7, PS ACB Karnal, ACB, Karnal, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	2206, Sector 7, PS ACB Karnal, ACB, Karnal, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416238436

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	विनित सरोहा		Father's Name: सुरेन्द्र सिहं सरोहा	1. समालखा, PANIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पति श्रेणी)	Property Type (सम्पति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा करनाल मण्डल, करनाल

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)	

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,प्रबंधक अफसर थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल करनाल। श्रीमान जी, निवेदन है कि जाच क्रमांक 2 दिनांक 21.06.2024 पानीपत माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ द्वारा CWP No. 5898/2022 में जारी किये गये आदेश दिनांक 09.05. 2024 अनुसार कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 12129/आई-5/भ०नि०ब्यू० (ह०) दिनांक 24.06 2024 के अनुसार दर्ज होकर इस कार्यालय के डायरी क्रमांक 927 दिनांक 03.07.2024 अनुसार मन निरीक्षक को पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमे वर्ष 2020 के दौरान जिला पानीपत में किसानो के द्वारा हरियाणा बीज विकास निगम पानीपत के सैन्टरो से जो गेहूं का बीज अनुदान पर खरीद किया गया था, उसमे हरियाणा बीज विकास निगम पानीपत के अधिकारियों/कर्मचारियो व अन्य द्वारा गेहूं। बीज अनुदान राशि में फर्जीवाडा करके गबन करने बारे आरोप था मन निरीक्षक द्वारा की गई जाच के दौरान पाया गया कि हरियाणा बीज विकास निगम पंचकूला के Circular No.HSDC/MKTG/F-81(38-A)/2020/7004-7015 Dated 05-10-2020 के अनुसार हरियाणा के किसानो को गेहू का बीज वितरण करने के लिए गेहु का मूल्य Full Sale Rate Rs. 3350/- प्रति क्विंटल. Subsidy 1000/- प्रति क्विंटल, Subsidized Sale Rate Rs. 2350/- प्रति क्विंटल, Sale Rate per Bag Rs. 940/-per bag of 40 Kg निर्धारित किया गया था, मन निरीक्षक द्वारा की गई जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड उमरी कुरुक्षेत्र के पत्र क्रमांक क्षे प्र3/ह बी.वि. धनि / मार्केटिंग/फा/24/618-19 दिनांक 25.07.2024 के अनुसार वर्ष 2020 मे रवि सीजन के दौरान जिला पानीपत मे हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड उमरी के 03 बीज बिक्री केन्द्र (पानीपत, समालखा, मतलौडा) बनाए गए थे। कार्यालय हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड उमरी कुरुक्षेत्र के पत्र क्रमांक क्षे.प्र उ./ ह.बी.वि.धनि. / मार्केटिंग/फा/24/618-19 दिनांक 25:07 2024 के अनुसार जिला पानीपत के सेल्जमैन उदित त्यागी द्वारा किसानों को 1775.60 क्विंटल बीज वितरण करके सरकारी खाता न० 11794011000017 पंजाब नेशनल बैंक उमरी जिला कुरुक्षेत्र में राशि 41,72,660 /- रूपये जमा करवाई गई। इसी प्रकार बीज बिक्री केन्द्र समालखा के सेल्जमैन विनित सरोहा द्वारा किसानों को 1890.40 क्विंटल बीज वितरण करके सरकारी खाता न0 11794011000017 पंजाब नेशनल बैंक उमरी जिला कुरुक्षेत्र में राशि 44,42,440/- रूपये जमा करवाई गई। इसी प्रकार बीज बिक्री केन्द्र मतलौडा के सेल्जमैन, श्याम द्वारा किसानों को 47.60 क्विंटल बीज वितरण करके सरकारी खाता न० 11794011000017 पंजाब नेशनल बैंक उमरी जिला कुरुक्षेत्र में राशि 1,11,860/- रूपये जमा करवाई गई। जो जिला पानीपत के सेल्जमैनस द्वारा वित वर्ष 2020-2021 में कुल 3713.60 क्विंटल गेहू का बीज 1265 किसानों को वितरण करके सरकारी खजाना में कुल 87.26.960/- रूपये जमा कराए जाने पाए गए। बीज बिक्री केन्द्र पानीपत के 707 किसान, बीज बिक्री केन्द्र समालखा के 545 किसान, बीज बिक्री केन्द्र मतलौडा के 13 किसान कुल 1265 किसानों को सरकार से अनुदान राशि पर गेहू का बीज वितरित किया गया था। जिनमे से कुल 291 किसानों को शामिल जाचं करके कथन अंकित किये गये है। 291 किसानों में से पानीपत बीज बिक्री केन्द्र के 03 किसानो का उदित त्यागी, सैल्जमैन बीज बिक्री केन्द्र पानीपत के द्वारा व समालखा बीज बिक्री केन्द्र के 11 किसानो का इन्द्राज विनित सरोहा, सैल्जमैन, बीज बिक्री केन्द्र समालखा जिला पानीपत के द्वारा अपने-2 सेल्ज रजिस्टर व रसीद बुक में ओवर राईटिंग/कटिंग करके गेहू का बीज फर्जी वितरण करना दिखाया गया है। पानीपत बीज बिक्री केन्द्र के सेल्ज रजिस्टर व रसीद बुक (Cash Memo) में उदित त्यागी. सैल्जमैन बीज बिक्री केन्द्र पानीपत के द्वारा आजाद पुत्र पृथ्वी सिहं वासी बुद्धशाम थाना समालखा जिला पानीपत (रिकार्ड क्र०स० 300) के कथन अनुसार उसके नाम रिकार्ड में गेहू का बीज 10 बैग, विजेन्द्र पुत्र सतबीर निवासी धर्मगढ थाना सदर जिला पानीपत (रिकार्ड क्र०स० 348) के कथन अनुसार उसके नाम रिकार्ड में गेहूं का बीज 20 बैग, राणा सिहं पुत्र श्री लिज्जो राम वासी विन्झोल थाना माडल टाऊन पानीपत जिला पानीपत (रिकार्ड क्र०स० 79) के कथन अनुसार उसके नाम रिकार्ड में गेहू का बीज 5 बैग, जो कुल 35 बैग (वजन प्रति बैग 40 Kg) (14 क्विंटल) गेहूं के बीज का अधिक वितरण दिखा कर फर्जी इन्द्राज किया जाना पाया गया है तथा इसी प्रकार समालखा बीज बिक्री केन्द्र के सेल्ज रजिस्टर व रसीद बुक (Cash Memo) मे विनित सरोहा, सैल्जमैन, बीज बिक्री केन्द्र समालखा कार्यालय हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड उमरी जिला कुरुक्षेत्र पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह सरोहा वासी समालखा तहसील समालखा जिला पानीपत के द्वारा आजाद सिंह पुत्र लखी राम थाना समालखा जिला पानीपत (रिकार्ड क्र०स० 359) के कथन अनुसार उसके नाम रिकार्ड में गेहू का बीज 7 बैग, बलबीर

निरोधक ब्यूरो हरियाणा

सिहं राठी पुत्र बलवन्त सिंह राठी गांव मनाना तहसील समालखा जिला पानीपत (रिकार्ड क०स० 305) के कथन अनुसार उसके नाम रिकार्ड में गेहूं का बीज 30 बैग, बलबीर सिंह राठी पुत्र बलवन्त सिंह राठी गांव मनाना तहसील समालखा जिला पानीपत (रिकार्ड क्र०स० 375) के कथन अनुसार उसके नाम रिकार्ड में गेहूं का बीज 10 बैग, संजय कुमार पुत्र मेहर सिंह वासी चुलकाना थाना समालखा जिला पानीपत (रिकार्ड क्र०स० 380) के कथन अनुसार उसके नाम रिकार्ड में गेहूं का बीज 20 बैग मनोज पुत्र हुक्म चन्द थाना समालखा जिला पानीपत (रिकार्ड क्र०स० 493) के कथन अनुसार उसके नाम रिकार्ड में गेहूं का बीज 15 बैग, अभिषेक पुत्र जय नारायण वासी कृष्णा कालोनी ब्लुजे रोड समालखा जिला अनुसार उसके नाम रिकार्ड में गेहूं का बीज 05 बैग पानीपत (रिकार्ड क्र०स० 508) के कथन अभिषेक पुत्र जय नारायण वासी कृष्णा कालोनी ब्लुजे रोड समालखा जिला पानीपत (रिकार्ड क्र०स० 519) के कथन अनुसार उसके नाम रिकार्ड में गेहूं का बीज 15 बैग, सतबीर पुत्र रूपाला जाति जाट वासी गांव आटा थाना समालखा जिला पानीपत (रिकार्ड क्र०स० 248) के कथन अनुसार उसके नाम रिकार्ड में गेहूं का बीज 6 बैग, लछमन सिंह पुत्र अमर सिहं वासी गांव आटा थाना समालखा जिला पानीपत (रिकार्ड क्र०स० 337) के कथन अनुसार उसके नाम रिकार्ड में गेहूं का बीज 23 बैग, सुखपाल पुत्र लखमी चन्द वासी गांव देहरा जिला पानीपत (रिकार्ड क्र०स० 223) के कथन अनुसार उसके नाम रिकार्ड में गेहू का बीज 30 बैग, सुखपाल पुत्र लखमी चन्द वासी गांव देहरा जिला पानीपत (रिकार्ड क्र०स० 229) के कथन अनुसार उसके नाम रिकार्ड मे गेहूं का बीज 46 बैग जो कुल 207 बैग (वजन प्रति बैग 40 Kg) (82.8 क्विंटल) गेहूं के बीज का अधिक वितरण दिखा कर फर्जी इन्द्राज करना पाया गया। जो सेल्ज रजिस्टर व रसीद बुक (Cash Memo) में किसानों को गेहू का बीज वितरण करते समय रिकार्ड के साथ ओवर राईटिंग/ कटिंग / टैम्परिंग करके किसानों के नाम गेहू के बीज का गलत इन्द्राज करके खुद को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से अपने अपने पदो का दरूपयोग करके बेचकर उदित त्यागी, सैल्जमैन बीज बिक्री केन्द्र पानीपत कार्यालय हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड उमरी जिला कुरूक्षेत्र पुत्र श्री पवन कुमार वासी मकान न० 2164, सैक्टर-3 उमरी चौंक कुरूक्षेत्र द्वारा 35 बैग (वजन प्रति बैग 40 Kg) (14 क्विंटल) गेहूं के बीज तथा विनित सरोहा, सैल्जमैन, बीज बिक्री केन्द्र समालखा कार्यालय हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड उमरी जिला कुरुक्षेत्र पुत्र श्री सुरेन्द्र सिहं सरोहा वासी समालखा तहसील समालखा जिला पानीपत द्वारा 207 बैग (वजन प्रति बैग 40 Kg) (82.8 क्विंटल) कुल 242 बैग (वजन प्रति बैग 40kg) (96.8 क्विंटल) गेहूं के बीज की अनुदान राशि प्रति क्विंटल 1000/-रू० कुल राशि 96,800/- रू० का गबन व भ्रष्टाचार करके तथा रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ ओवर राईटिंग/कटिंग / टैम्परिंग करके सरकार को वित्तिय हानि पहुंचाकर अपराध जेरधारा 218,409,420,467,468,471IPC व 13(1)(a) read with 13(2) PC Act 1988 तहत अभियोग अकित किये जाने सुझाव देकर और अनुसन्धान के दौरान किसी अन्य की सलिप्तता पाई जाने पर, नियमानुसार कार्यवाही करने का सुझाव तथा इसके अतिरिक्त हरियाणा बीज निगम मुख्यालय सैक्टर-2 पंचकूला द्वारा भी वर्ष 2020-2021 में जिला पानीपत के बीज वितरण केन्द्रो द्वारा किसानो को सब्सिडी पर वितरण किये गये गेहू के बीज के आकडो की सपरीक्षा (ऑडीट) करवाये जाने सुझाव देकर, कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के मैमो क्रमांक 3097/1-1/ACB (H) दिनांक 21.02.2025 अनुसार अन्तिम रिपोर्ट मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, चण्डीगढ को भेजी गई थी। जिस पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पृष्ठाकन क्रमांक 66/46/2024-6 VII दिनांक 04.03.2025, कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला के पृष्ठाकन क्रमांक 3677/1-1/ACB (H) दिनांक 05.03.2025 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम के क्रमांक 1106-11/ACB/GGM दिनांक 05.03.2025 तथा इस कार्यालय के डायरी क्रमांक 596 दिनांक 06.03.2025 तथा पत्र क्रमांक 4392 / 1-1/ACB (H) Panchkula दिनांक 12.03.2025 तथा इस कार्यालय के डायरी क्रमांक 652 दिनांक 13.03.2025 अनुसार सम्बंधित के खिलाफ अलग अलग अभियोग अंकित किए जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अतः विनित सरोहा, सैल्जमैन, बीज बिक्री केन्द्र समालखा कार्यालय हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड उमरी जिला कुरुक्षेत्र पुत्र श्री सुरेन्द्र सिहं सरोहा वासी समालखा तहसील समालखा जिला पानीपत द्वारा 207 बैग (वजन प्रति बैग 40 Kg) (82.8 क्विंटल) बेचकर सेल्ज रजिस्टर व रसीद बुक (Cash Memo) मे किसानों को गेहू का बीज वितरण करते समय रिकार्ड के साथ ओवर राईटिंग/कटिंग / टैम्परिंग करके किसानों के नाम गेहू के बीज का गलत इन्द्राज करके खुद को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से अपने पद का दरूपयोग गबन व भ्रष्टाचार करके बीज गेहू लाभार्थी किसानो को ना बेचकर अनुचित तरीके से कुल 207 बैग (वजन प्रति बैग 40 Kg) (82.8 क्विंटल) बेचकर सरकार को प्रथम दृष्टि में राशि 82800/- रू की वित्तिय हानि पहुचाई जाना पाई जाने पर जुर्म धाराधीन 218 , 409 , 420 , 467 , 468, 471IPC व 13(1)(a) read with 13(2) PC Act 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए लेख प्रबन्धक थाना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल,

करनाल को प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग अकिंत करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों की सेवा मे भिजवाई जाये। उदित त्यागी, सैल्जमैन बीज बिक्री केन्द्र पानीपत कार्यालय हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड उमरी जिला कुरुक्षेत्र पुत्र श्री पवन कुमार वासी मकान न0 2164, सैक्टर-3 उमरी चौक कुरुक्षेत्र के खिलाफ अलग से अभियोग अंकित किया गया है। अतः मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियूक्त किया जावे तथा स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से इलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारीयों को भेजी जावे। Sd/- Hemraj Insp निरीक्षक (हेमराज) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप केन्द्र पानीपत। दिनाक 13 -03-2025 At 6:00 PM

अज थानाः- उपरोक्त तहरीर पर कायमी अभियोग सख्या 09 दिनांक 13-03-2025 धारा 218,409,420,467,468,471IPC व 13(1)(a) read with 13(2) PC Act 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा डियुटी मैजिस्ट्रेट साहब पानीपत को बजरियां E-Mail सूचना दी गई । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार आगामी अनुसन्धान हेतू उप पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार,ह0पु0से0, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल के हवाले की गई है । उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक बलजीत सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): AMIT KUMAR (Dy. SP (Deputy Superintendant of Police))/ACP or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम): **Rank** (पद):

No. (सं.): **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

or (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.** (थाना): **District** (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा करनाल मण्डल, करनाल

Baljeet Singh In

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Baljeet Singh

Rank (पद): Inspector

14.

Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

No. (सं.): 685/PPT

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)